प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

124-शेरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री बाबूसिंह राठौड़

ग्राम रूप नगर, नाथड़ाऊ, तहसील चामू, जिला जोधपुर ग्रामीण जो भारतीय जनता पार्टी दवारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जोधपुर दिनांक : 03.12.2023

(शंकर लाल मीना) रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शेरगढ़) 124-शेरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (124) एस.डी.ओ., शेरगढ़

Form 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 124-Shergarh Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri BABU SINGH RATHOR

0r

VILAGE- RUP NAGAR NATHRAU TEH. CHAMU DIST. JODHPUR RURAL sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jodhpur

Dated : 03.12.2023

(Shankar Lal Meena) Returning Officer (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Shergarh) 124 - Shergarh Assembly Constituency

> रिटर्निंग अधिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (124) इस.डी.ओ., शेरगढ